कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बालाघाट
आदेश

क्रमांक / 3578 / स्था.3 / आवि / 2010 बालाघाट, दिनांक 30–9–2010

भारत सरकार दिल्ली, के पत्र क्रमांक–3(53) / 2009–पी.पी.11 दिनांक 6–4–2010 एवं आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म0प्र0 भोपाल के अ0शा0 पत्र क्रमांक / 10–11 / 188 दिनांक 19–4–2010 एवं पत्र क्रमांक / अ.स. / 514 / सत्रह–2 / 2891 दिनांक 8–9–10 के निर्देशानुसार जिला स्तरीय अल्पसंख्यक 15 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है।

1– कलेक्टर,	अध्यक्ष
2– मा0 डॉ0 विजयलक्ष्मी साधो राज्य सभा से मनोनित सदस्य	सदस्य
3– श्री के0डी0 देशमुख, सांसद, लोक सभा क्षेत्र बालाघाट	सदस्य
4– श्री गौरीशंकर जी बिसेन, विधायक, बालाघाट	सदस्य
5– श्री प्रदीप जायसवाल, विधायक, वारासिवनी	सदस्य
6– श्री विश्वेश्वर भगत, विधायक, कटंगी	सदस्य
7– श्री रमेश भटेरे, विधायक, लांजी	सदस्य
8– श्री रामकिशोर कावरे, विधायक, परसवाड़ा	सदस्य
9– श्री भगतसिंह नेताम, विधायक, बैहर	सदस्य
10– श्रीमति फिरोजा खान, आयोग मित्र म0प्र0 मानव अधिकार आयोग	सदस्य
11– श्री यूसुफ पटेल, जिला पंचायत, सदस्य	सदस्य
12– श्री रावेलसिंह गांधी, वार्ड नं0 29 गोदिया रोड बालाघाट	सदस्य
13– श्री सुरेन्द्रपालसिंह कौशल, वार्ड 22 सर्किट हाउसरोड बालाघाट	सदस्य
14– श्री विनय सेण्डीमन, वार्ड नं.15 बस स्टेण्ड के पास, बालाघाट	सदस्य
15– श्री मो0 अययूबखान वार्ड नं. 11 मु.पो. लालबर्रा बालाघाट	सदस्य
16– श्री शेख तुर्राब, वार्ड नं0 3 बालाघाट	सदस्य
17– श्री मोमिन खान, वार्ड नं0 11 मु0पो0 भरवेली, बालाघाट	सदस्य
18– श्री जाकिर कुरैशी, किरनापुर बालाघाट	सदस्य
19– श्री इलाकत अली, हीरापुर बालाघाट	सदस्य
20– श्री वाजिद अली, वार्ड नं0 9 कटंगी बालाघाट	सदस्य
21– श्री अनीस बेग, वार्ड नं0 10 नगरपालिका परिषद के सामने बालाघाट	सदस्य
22– श्री अनीस मेनन, वार्ड नं0 17 बालाघाट	सदस्य
23– पुलिस अधीक्षक, बालाघाट	सदस्य
24– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट	सदस्य
25– जिला शिक्षा अधिकारी, बालाघाट	सदस्य
26– परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास बाला.	सदस्य
27– जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्ष अभि. बाला0	सदस्य
28– परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभि. बालाघाट	सदस्य
29– प्राचार्य, आई.टी.आई. बालाघाट	सदस्य
30– प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र बालाघाट	सदस्य
31– प्रबंधक, अग्रणी बैंक बालाघाट	सदस्य
32– मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बालाघाट	सदस्य
33– सहायक आयुक्त आदिवासी विकास	सदस्य सचिव

कलेक्टर,
जिला–बालाघाट

PSOBc

पृ0क्रमांक / 3578–ए / स्था.3 / आवि / 2010 बालाघाट, दिनांक 30–9–2010

प्रतिलिपि :–

1– आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसख्यक कल्याण म0प्र0 भोपाल

2– आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर ।

3– संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनु. जाति जबलपुर संभाग जबलपुर।

4– सर्व माननीय सदस्य श्री / श्रीमति ....

जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति बालाघाट।

5– समस्त अधिकारी, ...

जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति बालाघाट

की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर,
जिला–बालाघाट

बालाघाट जिले की जिला स्तरीय अल्पसंख्यक 15 सूत्रीय कियान्वयन समिति की बैठक दिनांक 03–09–2010 समय प्रातः 11.00 बजे स्थान सामुदायिक भवन कलेक्टोरेट बालाघाट का कार्यवाही विवरण

–0–

आज दिनांक 03–09–2010 को जिला स्तरीय अल्पसंख्यक 15 सूत्रीय कियान्वयन समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार सदस्य उपस्थित हुए :–

1– श्रीमति फिरोजाखान
2– श्री रावेलसिंह गॉधी
3– श्री भोख तुर्राब
4– श्री मोमिन खान
5– श्री वाजिद अली
6– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट
7– प्राचार्य, आई0टी0आई0 बालाघाट
8– महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बालाघाट
9– परियोजना अधिकारी, भाहरी विकास अभिकरण बालाघाट
10– सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/सदस्य सचिव बालाघाट

आज दिनाक 03–09–2010 को आयोजित बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को परिचय के साथ कलेक्टर/अध्यक्ष, द्वारा म0प्र0 राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौध एवं पारसी समुदायों को भाासन द्वारा अल्पसंख्यक घोशित किया गया है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण से संबंधित प्रधान मंत्रीजी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बिन्दुओं की जानकारी से अवगत कराया गया।

प्राचार्य आई0टी0आई0 बालाघाट एवं महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बालाघाट को छोड़कर अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, इसके लिए कलेक्टर/अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अनुपस्थित अधिकारियों को स्पश्टीकरण जारी करने के निर्दे ा दिये गये ।

श्रीमति फिरोजा खान द्वारा अवगत कराया गया कि अल्पसंख्यको के प्रमाण पत्र भीघ्र बनाया जाय लेकिन अल्पसंख्यक का अलग से कोई प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता, पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आय, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र बनाये जाते है। स्थाई जाति प्रमाण पत्र भीध्र बनाये जाने हेतु सभी अनुविभागीय अधिकारी जिला बालाघाट को निर्दे ात करने के निर्दे ा कलेक्टर द्वारा दिये गये।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बालाघाट द्वारा बताया गया कि शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए अभी तक कोई लक्ष्य भाासन से प्राप्त नहीं हुआ है, अध्यक्ष द्वारा भाासन को लक्ष्य प्राप्त करने हेतु पत्र भेजने के निर्दे ा दिये गये है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट द्वारा अवगत कराया गया है कि इदिरा आवास योजनान्तर्गत 15 प्रति ात ग्रामीण क्षेत्रों की सूची सभी जनपद पंचायतों से दिलाई गई है, जिसके अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर कार्यक्रम को सुचारू रूप दिया जायेगा।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/सदस्य सचिव बालाघाट द्वारा बताया गया कि वर्ष 2009–10 में अल्पसख्यंक प्रीमेट्रिक छात्रवृत्ति 17 छात्रों को रूपये 47045/– एवं अल्पसख्यंक पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति वर्श 2009–10 में 20 छात्रों को रूपये 82,467/– शासन द्वारा प्रदान की गई है तथा वर्तमान में प्रीमेट्रिक/पोस्ट मेट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति से संबंधित 112 छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। जिसे आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म0प्र0 भोपाल को भेजा जा रहा है।

सदस्यों द्वारा बताया गया कि कई क्षेत्रों में सामप्रदायिकता का माहौल बिगाड़ा जा रहा है लेकिन कलेक्टर महोदय द्वारा उन्हें बताया गया कि अभी तक जिले में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है, यदि कोई घटता घटित होती है तो तत्काल मेरे ध्यान में लाई जाये ताकि सामप्रदायिक तत्वों पर कार्यवाही की जा सके।

सभी अधिकारियों को कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन भेजने एवं बैठक में अनिवार्यतः उपस्थित होने के निर्देश देने के साथ ही आज की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

कलेक्टर,
जिला–बालाघाट

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बालाघाट म0प्र0

पृ0क्रमांक/3578–ए/स्था.3/आवि/2010 बालाघाट, दिनांक 30–09–2010

प्रतिलिपि :–

1– आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म0प्र0 भोपाल
2– सचिव, म0प्र0 राज्य अल्पसंख्यक आयोग म0प्र0 भोपाल
3– संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग जबलपुर
4– सर्व सदस्य श्री/श्रीमति ....
जिला स्तरीय अल्पसंख्यक 15 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति बालाघाट
5– समस्त अधिकारीगण..

को सूचनार्थ।कृपया कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर,
जिला–बालाघाट

बालाघाट जिले की जिला स्तरीय अल्पसंख्यक 15 सूत्रीय कियान्वयन समिति की बैठक दिनांक 19–05–2011 समय प्रातः 12.30 बजे स्थान सामुदायिक भवन कलेक्टोरेट बालाघाट का कार्यवाही विवरण

–0–

आज दिनांक 19–5–2011 को जिला स्तरीय अल्पसंख्यक 15 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार सदस्य उपस्थित हुए :–

1– श्रीमति फिरोजाखान
2– श्री रावेलसिंह गॉधी
3– श्री यूसुफ पटेल
4– श्री मोमिन खान
5– श्री सुरेन्द्रपालसिंह कौशल
7– श्री अनीस बेग
8– श्री अनीस मेमन
9– मो0 अय्युबखान
10– जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान बालाघाट
11– प्राचार्य, आई0टी0आई0 बालाघाट
12– महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बालाघाट
13– जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बालाघाट
14– सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/सदस्य सचिव बालाघाट

आज दिनाक 19–05–2011 को आयोजित बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का परिचय कलेक्टर/अध्यक्ष, द्वारा किया गया । साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण से संबंधित प्रधान मंत्रीजी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बिन्दुओं की जानकारी से अवगत कराया गया। इसके पश्चात कलेक्टर महोदय द्वारा सभी सदस्यों से बच्चों के हार्ट प्राबलम के संबंध में चर्चा की गई, एवं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सुविधा पहुंचाने का कार्य करने हेतु कहा गया। बैठक में जिला महिला बाल विकास अधिकारी बालाघाट द्वारा बताया गया कि अल्पसंख्यकों के लिए कोई अलग से योजना नहीं है। हमारे यहॉ जो कार्यक्रम चल रहे है 502 महिलाएं है जिसमें 25 अल्पसंख्कय महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जो योजनाएं आपके विभाग द्वारा चलाई जा रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाये।

प्राचार्य आई0टी0आई0 बालाघाट द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे यहॅा जितने ट्रेड चलाये जा रहे है उसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक 11 छात्र है उनके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है।

जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान बालाघाट द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में 04 मदरसे संचालित है, जो शासन द्वारा रजिस्टर्ड है, इसके अतिरिक्त 11 मदरसे और संचालित है। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि रजिस्टर्ड मदरसों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत योजनाओं का लाभ दिया जाय।

– 2 –

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बालाघाट द्वारा बताया गया कि शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2011–12 के लिए 60 का लक्ष्य प्राप्त हुआ जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा।

श्री युसुफ पटेल द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत हितग्राही के पहचान पत्र बनाये जाने की पहल की गई, चूंकि जिले में किसी भी हितग्राही का अलग से पहचान पत्र नहीं है।

श्रीमति फिरोजा खान द्वारा अवगत कराया गया कि अल्पसंख्यक गरीब बच्चों को हर क्लास की बुक्स उपलब्ध कराई जाये तथा मदरसों से संबंधित जानकारी सर्व शिक्षा अभियान को भी दी जाय।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/सदस्य सचिव बालाघाट द्वारा बताया गया कि वर्ष 2010–11 में अल्पसख्यंक प्रीमेट्रिक छात्रवृत्ति 142 छात्रों को रूपये 3,00,623/– एवं अल्पसख्यंक पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति 118 छात्रों को रूपये 4,93,776/– शासन द्वारा प्रदान की गई है।

कलेक्टर महोदय द्वारा सभी सदस्यों को महिलाओं की शिक्षा की कमी दूर करने एवं उनकी सोच बदलने के संबंध में ध्यान देने की जरूरत पर ज्यादा बल देने के लिए कहा गया।

सभी अधिकारियों को कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन भेजने एवं आगामी बैठक में उपस्थित होने के निर्देश देने के साथ ही आज की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

कलेक्टर,
जिला–बालाघाट

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बालाघाट म0प्र0

पृ0क्रमांक/842 /स्था.3/आवि/2011 बालाघाट, दिनांक 01–06–2011

प्रतिलिपि :–

1– आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म0प्र0 भोपाल

2– सचिव, म0प्र0 राज्य अल्पसंख्यक आयोग म0प्र0 भोपाल

3– आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर

4– संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग जबलपुर

5– सर्व सदस्य श्री/श्रीमति ....
जिला स्तरीय अल्पसंख्यक 15 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति बालाघाट

6– समस्त अधिकारीगण..
को सूचनार्थ।कृपया कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर,
जिला–बालाघाट